

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:-

765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित व 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8B/UP/04/05/2024/FC/170, दिनांक 18.07.2024 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, प्रयागराज का पत्रांक-496/15-1, दिनांक 05.08.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित आपत्ति सं०-1, 2, 3, 5 एवं 6 का निराकरण कर वांछित सूचना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन पार्ट-1 अपलोड की गयी है तथा भारत सरकार की आपत्ति सं०-4 का निराकरण कर वांछित सूचना ऑनलाइन पार्ट-2 में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, प्रयागराज के उपरोक्त पत्रांक-482/मी०क्ष०/33, दिनांक 30.07.2024 द्वारा अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख पेनड्राइव सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 382 / 11-सी-FP/UP/Trans/15538/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रयागराज एवं आगरा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरैया/फतेहपुर।
3. महाप्रबन्धक (पारेषण), एस०ई०यू०पी०टी०सी०एल०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 496

/15-1, दिनांक, प्रयागराज, अगस्त, 05 2024।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 09 वृक्षों के पातन, तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/170, दिनांक 18-07-2024 एवं आपका पत्रांक-182/11-सी-FP/UP/TRANS/15538/2015, दिनांक 19-07-2024।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 298/15-1, दिनांक 30-07-2024 द्वारा बिन्दुवार आपत्तियों में से आपत्ति के बिन्दु संख्या-4 के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्ति का निराकरण इस कार्यालय को निम्न प्रकार उपलब्ध कराया गया है :-

Sr. No.	Query	Reply
1	2	3
1	As per Google Earth imagery, the proposed CA land of the Mezafalls under the Barren/Rocky area. This needs clarification in terms of suitability of tree plantation.	मेजा रेंज के अन्तर्गत सी0ए0 हेतु प्रस्तावित अवनत वनभूमि का चयन पठारी क्षेत्र के बेधीपट्टी वन ब्लाक में किया गया है, जो पथरीली भूमि है, परन्तु वृक्षारोपण किये जाने योग्य है।

भवदीय,

(तुलसीदास)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक- 496 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक (पारेषण), एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तुलसीदास)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक-298 /15-1 दिनांक, प्रयागराज, जुलाई, 30, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0-FP/UP/TRANS/155338/2015

विषय:-

765 के0बी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारिषद लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 एवं 18 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.8064 हे0 एवं 37 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288 हे0 एवं आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे0 तथा 2460 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 एवं 220 वृक्षों/पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.4145 हे0 एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन एवं फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे0 व 67 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 2811 वृक्षों/पौधों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/170, दिनांक-18.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्तियों में से आपत्ति के बिन्दु सं0-4 के सम्बन्ध में वांछित सूचना/आख्या निम्नवत है-

S.No.	Query	Reply
1	2	3
1	As per Google Earth imagery, the proposed CA land of the Meza range falls under the Barren/Rocky area. This needs clarification in terms of suitability of tree plantation.	मेजा रेंज के अन्तर्गत CA हेतु प्रस्तावित अवन्त वन भूमि का चयन पठारी क्षेत्र के बेधीपट्टी वन ब्लाक में किया गया है, जो पथरीली भूमि है, परन्तु वृक्षारोपण किये जाने योग्य है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

DM:

प्रयागराज

CF. 12.11.24

12/07/24

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seuptcl.com

Ref: SEUPPTCL/LKO/24/ 536

Date: 27.07.24

To,
Divisional Forest Officer,
Prayagraj Forest Division,
Prayagraj,

Online Proposal No. - FP/UP/TRANS/15538/2015

विषय : 765के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक २२० वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Ref: Letter of Regional Office Lucknow, MoECCE, Government of India - 8B/U.P./04/05/2024/F.C./170
Dated: 18.07.2024.

Sir,

This has reference to the above letter in which the following compliances were asked for processing the FC Proposal no. FP/UP/TRANS/15538/2015 of 765kV S/C Mainpuri - Bara ckt-1 transmission line.

Point-wise reply to queries from the User Agency is as under:

Sl.	Compliance Required	Compliance Replied
1.	The complete alignment including both Forest and Non Forest land of the area proposed for diversion needs to be depicted in kml file. The revised kml file of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the Privesh portal.	The revised kml file of both Forest and Non-Forest land to be diverted for construction of the Transmission Line along the Route Alignment has been uploaded in part 1 in Form-A (Part-1).
2	The revised geo-referenced map of the area proposed for diversion in Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Fatehpur District is required. The map must include geo - coordinate points, which need to be accurately specified. This needs to be uploaded on Parivesh Portal.	The corrected Geo referenced map has been uploaded in part 1 in Form-A (Part-1) in "Additional Details Section".

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com

3	The KML file of the alternate routes needs to be uploaded on Parivesh portal	The KML file of the alternate routes has been uploaded in part 1 in Form-A (Part-1).
4	As per Google Earth Imagery, the proposed CA land of the Meja range falls under the Barren / Rocky area. This needs clarification in terms of suitability of tree plantation.	The compliance report will be uploaded by Prayagraj Division in Part -2.
5	Project sanction letter needs to be uploaded on Parivesh portal.	Transmission license (Issued by UPREC), Approval under Sec -68 of IEA-2003 (Issued by GoUP) have already been uploaded in part 1 in Form-A (Part-1) in "Additional Details Section".
6	List of affected trees and list of trees to be actually felled to be provided separately.	The declaration has been uploaded in part 1 in Form-A (Part-1) in "Additional Details Section".

In view of the above, we would request your good office to forward the compliances to the concerned to enable MOE&F issue approval in principle of the subject FC proposal.

For South East U.P. Power Transmission Company Limited



Anurag Shukla
Group Head



CC :

1. DFO Mainpuri / Auraiya / Kanpur Dehat / Kanpur Nagar / Fatehpur.
2. CCF Agra Circle / Kanpur Nagar Circle / Prayagraj Circle.
3. CCF (Forest Conservation) & Nodal Officer, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com

PROPOSAL NO. - FP/UP/TRANS/15538/2016

DECLARATION CERTIFICATE

I, Anurag Shukla, on behalf of South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. declare that the list / number of trees affected (Mainpuri Forest Division = 16 trees, Auraiya Forest Division = 220 trees, Kanpur Dehat Forest Division = 37 trees, Kanpur Nagar Forest Division = 18 trees, Fatehpur Forest Division = 67 trees, Prayagraj Forest Division = 2460 trees, **Total = 2818 Trees**) in construction of 765Kv S/C Mainpuri - Bara ckt-1 Transmission Line. I further declare that the number / list of affected trees submitted will remain the same, which require permission to be felled. However, we will endeavour our best to save those dwarf variety trees which may not gain height that much so as to pose threat of tripping of the said transmission line.



(ANURAG SHUKLA)
Group Head

